



पत्रांक: 1111 / वी०मा०सि०म०उ०प्रौ०वि० / 2023

दिनांक: 22/06/2023

सेवा में,  
सचिव,  
साई विकास समिति,  
ई-ब्लॉक, मीडो प्लाजा, 26 राजपुर रोड,  
देहरादून, उत्तराखण्ड।

विषय:- Letter of Consent के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या शून्य दिनांक 17/06/23 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में आपके साई विकास समिति के अन्तर्गत संचालित साई कॉलेज ऑफ फार्मसी, देहरादून में नवीन बी०फार्मसी पाठ्यक्रम (60 सीट) संचालित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय से Letter of Consent की मांग की गयी है।

तत्कम में शासन के पत्र संख्या 751/XLI-A/2023/92/2022 दिनांक 15 जून, 2023 द्वारा साई कॉलेज ऑफ फार्मसी, राजपुर रोड, देहरादून में नवीन बी०फार्मसी पाठ्यक्रम (60 सीट) संचालित किये जाने हेतु राज्य सरकार की अनापत्ति कतिपय शर्तों के तहत प्रदान की गयी है:-

अतः उपरोक्त के क्रम में आपके अनुरोध तथा राज्य सरकार द्वारा दी गयी अनापत्ति के क्रम में मा० कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय आपके संस्थान को सम्बद्धता सहमति पत्र (Letter of Consent) निम्न उपबंधों के अधीन प्रदान करता है:-

1. उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 751/XLI-A/2023/92/2022 दिनांक 15 जून, 2023 में इंगित शर्तों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जाना अनिवार्य है। उक्त शर्तों के अनुपालन में यदि कोई कमी पायी जाती है, तो उक्त सम्बद्धता सहमति पत्र तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जायेगी।
2. फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सम्बन्धित संस्थान को बी०फार्मसी (60 सीट) हेतु मान्यता/स्वीकृति निर्गत होने उपरान्त ही विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश व अस्थाई सम्बद्धता हेतु विचार किया जायेगा।
3. संस्थान द्वारा फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता/स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व कोई भी प्रवेश नहीं लिया जायेगा और न ही ऐसे प्रवेश विश्वविद्यालय स्तर पर मान्य होंगे।
4. संस्थान को फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता/स्वीकृति विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने उपरान्त प्राप्त होती है, तो उक्त स्थिति में सम्बन्धित संस्थान के प्रवेश एवं अस्थाई सम्बद्धता हेतु किसी प्रकार की कार्यवाही विश्वविद्यालय स्तर पर नहीं की जायेगी। संस्थान को आगामी शैक्षिक सत्र में पुनः पी०सी०आई०, नई दिल्ली की समयबद्ध मान्यता/स्वीकृति प्राप्त होने उपरान्त प्रवेश व अस्थाई सम्बद्धता हेतु विचार किया जायेगा। उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा सम्पूर्ण जिम्मेदारी संस्थान की होगी।

कमशा:-02

5. संस्थान को फार्मैसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त नवीन फार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु प्रस्तावित सीटों पर मान्यता/स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त न होने की दशा में विश्वविद्यालय स्तर पर सम्बन्धित नवीन फार्मैसी पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता/संस्थान में प्रवेश हेतु कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी एवं सम्बद्धता सहमति पत्र (Letter of Consent) स्वतः समाप्त मानी जायेगी। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व/जिम्मेदारी नहीं होगी व सम्पूर्ण उत्तरदायित्व/जिम्मेदारी संस्थान की होगी।
6. विश्वविद्यालय स्तर पर प्रदान किये जाने वाले इस सम्बद्धता सहमति पत्र (Letter of Consent) की वैधता अवधि 02 वर्ष की होगी।

भवदीय



(प्रो० सत्येन्द्र सिंह)

कुलसचिव

Registrar

Veer Madho Singh Bhandari  
Uttarakhand Technical University

Dehradun, Uttarakhand

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, कुलपति को मा० कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, साईं विकास समिति, ई-ब्लॉक, मिडो प्लाजा, 26 राजपुर रोड, देहरादून।
3. कार्यालय प्रति।

(प्रो० सत्येन्द्र सिंह)

कुलसचिव